ग्राम पंचायत लपियाणा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लपियाणा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कृष्ण कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती सकीना देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चण्डी दत्त शर्मा	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत लपियाणा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	9	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता–(क) में अन्तरित न करना	0.31
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	5.14
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.32

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत लपियाणा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.1.17 से 2.2.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 4/13, 8/14 व 4/15 तथा 6/13, 5/14 व 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाली किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत लपियाणा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225 दिनांक 2.2.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत लपियाणा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत लपियाणा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत लपियाणा के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	214338	436704.50	651042.50	526129.00	124913.50
2014–15	124913.50	343153.00	468066.50	268881.50	199185.00
2015–16	199185	231060.00	430245.00	342388.00	87857.00

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत लपियाणा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	234681.50	2883027	3117708.50	2829414.00	288294.50
2014–15	288294.50	465022	753316.50	525097.50	228219.00
2015–16	228219.00	1277582	1505801.00	992018.00	513783.00
दिनांक 31.3.2017 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					**₹601640**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	खाता संख्या	बैंक का नाम	अनुदान/निधि का नाम	राशि
1	0894000101328684	PNB Shahpur	MNREGA	0
2	87830100049675	HGB Harchakian	MNREGA	0
3	20040016627	KCC Lapiana	सभा निधि	86299.50
4	87830100000597	HGB Harchakian	सभा निधि	1557.50
5	50055727315	KCC Lapiana	IAY	7910.00
6	50055727371	KCC Lapiana	SDP	22803
7	50055727337	-do-	RAY	714
8	50055727382	-do-	SBM	78138
9	50055727348	-do-	12th Rin	19734
10	50055727291	-do-	13th Fin	384452
11	20040018239	-do-	Water Shed	32
			योग	**₹601640**

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट

के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और स्वः स्त्रोत हेतु पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता—क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम—3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। और पंचायत निधि खाता—ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता—क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक खातों का खोला जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9 खाता "ख" में अर्जित ₹0.31 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
20040018239	1666	734	822	3222
50055727291	667	1572	955	3194
50055727348	595	1423	1586	3604
50055727382	1911	2792	3710	8413
50055727337	213	53	448	714
50055727371	430	825	1875	3130
50055727315	1325	2289	339	3953
0894000101328684	4213	535	–	4748
87830100049675				
योग	11020	10223	9735	30978

10 अनुदान ₹5.14 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹513783 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.32 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹331811 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹12.35 लाख के कार्य निष्पादन बारेः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम—93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जाँच पर पाया गया कि **परिशिष्ट—3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹12.35 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन सहभागी समिति के गठन के बिना करने कारण बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रत्येक कार्य का निष्पादन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹1.69 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर रजिस्टर अभिलेख में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है परन्तु पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 4** में वर्णित बिल/वाउचरों की जाँच में पाया गया कि ₹169120 की निर्माण सामग्री को क्रय करने उपरान्त भण्डारण पुस्तकों में दर्ज ही नहीं किया गया था और न ही उपयोग सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 खाली दुकानों को किराये पर न देने बारेः—

अभिलेख के जाँच में पाया गया कि पंचायत की चार दुकानें मेन बाजार लपियाण में स्थित है। इन चार दुकानों में से एक दुकान को किराये पर दिया गया है तथा एक दुकान में पंचायत द्वारा सीमेन्ट का भण्डारण किया जाता है दो दुकानें अंकेक्षण अवधि से पहले से ही अकारण खाली है। अतः यह सुझाव दिया जाता है उक्त खाली दुकानों को किराये पर दिए जाने के प्रयत्न किए जाएं ताकि पंचायत को इन दुकानों से आय अर्जित हो सकें।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—**यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

178 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 82/2017—खण्ड—1—2294—2297 दिनाँकः 20.04.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत लपियाणा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट–2)

ग्राम पंचायत लपियाणा, विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि (water shed)	2/12.4.13	श्री पदम सिंह द्वारा बजरी की आपूर्ति का भुगतान	13000
2	सभा निधि	3/12.4.13	–यथोपरि–	22000
3	सभा निधि	4/29.4.13	–यथोपरि–	9685
4	सभा निधि	14/6.3.14	श्री रत्न चन्द द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	31100
5	सभा निधि (water shed)	3/26.8.14	मै0 वी0डी0 स्टील फैवरीकेशन लपियाणा द्वारा GI PIPE आदि की आपूर्ति का भुगतान	22000
6	मनरेगा	12/5.6.13	मै0 KAY TEE Tradersa Gaggal द्वारा सरिया आदि की आपूर्ति का भुगतान	85455
7	मनरेगा	29/20.9.13	श्री मनजीत सिंह राणा द्वारा रेत बजरी की आपूर्ति का भुगतान	9586
8	–यथोपरि–	30/20.9.13	–यथोपरि–	12835
9	–यथोपरि–	38/17.10.13	–यथोपरि–	65950
10	–यथोपरि–	49/23.12.13	–यथोपरि–	21000
11	सामान्य सभा निधि	86 व 87/20.2.16	मै0 सूर्य शक्ति एनर्जी सिस्टम दाडी द्वारा सोलर लाईटों की आपूर्ति का भुगतान	39200
			योग	**₹331811**

(परिशिष्ट–3)

ग्राम पंचायत लपियाणा विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन बारे

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	**निधि**	**कार्य का नाम**	**राशि**
1	सामान्य SDP	निर्माण समुदायक भवन बाग	250000
2	मनरेगा	निर्माण पुली बाग	385000
3	मनरेगा	निर्माण रास्ता सड़क से धनी राम के घर तक	150000
4	मनरेगा	निर्माण रास्ता नाले से रमेश के घर तक	150000
5	मनरेगा	निर्माण चैक डैम पैडी नाला	150000
6	मनरेगा	निर्माण रास्ता बावड़ी से बलदेव के घर तक	150000
		योग	**₹1235000**

(परिशिष्ट–4)

ग्राम पंचायत लपियाणा विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	मनरेगा	14 / 5.7.13	हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम के बिल संख्या 0158063 दिनांक 5.7.13 के अन्तर्गत 15 बैग सीमेन्ट की खरीद	34500
2	मनरेगा	18 / 20.8.13	–यथोपरि– बिल संख्या 0000195 दिनांक 20.8.13 (150 बैग सीमेन्ट)	34800
3	मनरेगा	58 / 29.1.14	–यथोपरि– बिल संख्या 1939648 दिनांक 29.1.14 200 बैग सीमेन्ट	46600
4	सभा निधि	7 / 14	मै0 धीमान सीमेन्ट सरिया स्टोर से खरीदा गया 100 बैग सीमेन्ट बिल संख्या 286 दिनांक 4.7.13	32500
5	सभा निधि	40 व 41 / 4.2.15	हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम के बिल संख्या 1843845 दिनांक 5.2.15 के अन्तर्गत 80 बैग सीमेन्ट की खरीद	20720
			योग	**₹169120**